



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112023-249953
CG-DL-E-08112023-249953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945

No. 645]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

प्रारूप अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 825(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत यथापेक्षित, इससे प्रभावित होने की संभावना वाली जनता की जानकारी के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम बनाती है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जिस तारीख को इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्र सरकार के विचारार्थ लिखित रूप में सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल पते: mscb.cpcb@nic.in और sonu.singh@gov.in पर भेज सकता है।

- (1) इन नियमों को पर्यावरण (संरक्षण) सातवां संशोधन नियम, 2023 कहा जाएगा।
- (2) वे राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से दो साल की समाप्ति पर प्रवर्तित होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची-I में:- क्रम संख्या 14 पर 'लुगदी और कागज उद्योग' के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा:-

भाग-I बहिःस्राव मानक			
क्र.सं.	उद्योग	मानदण्ड	मानक
1	2	3	4
14	लुगदी और कागज उद्योग		
क.	रासायनिक लुगदी से उत्पाद बनाने वाली पल्प और पेपर मिलों के परिशोधित बहिःस्राव \$	बहिःस्राव	पीएच, रंग और सोडियम अवशोषण अनुपात को छोड़कर सांद्रण मिलीग्राम/लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए
		पीएच	6.5 – 8.5
		टीएसएस, मिलीग्राम/ली	30
		बीओडी [27° सी पर 3 दिन]	20
		सीओडी, मिलीग्राम/ली	200
		टीडीएस, मिलीग्राम/ली	2100*
		रंग, पीसीयू	350
		एओएक्स, मिलीग्राम/ली	10
		एसएआर	10
ख.	पुनर्चक्रित रेशा (आरसीएफ) आधारित लुगदी और बाजार में उपलब्ध लुगदी से उत्पाद का निर्माण करने वाली लुगदी और कागज मिलों के परिशोधित बहिःस्राव	पीएच	6.5 – 8.5
		टीएसएस, मिलीग्राम/ली	30
		बीओडी, मिलीग्राम/ली	20
		सीओडी, मिलीग्राम/ली	150
		टीडीएस, मिलीग्राम/ली	2100*
		रंग, पीसीयू	350
		एओएक्स, मिलीग्राम/ली	05
		एसएआर	08
टिप्पणी:			
1. \$ शून्य ब्लैक लिकर निस्सरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रासायनिक पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया (सीआरपी) सुविधा से युक्त मिलों को रासायनिक लुगदी के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।			
2. * ऐसे मामले में जहां अंतर्ग्रहण जल का टीडीएस 1100 मिलीग्राम/लीटर से अधिक है, औद्योगिक इकाई को अधिकतम 1000 मिलीग्राम/लीटर तक निस्सरण की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि परिशोधित बहिःस्राव 3100 मिलीग्राम/लीटर के अधिकतम मान से अधिक न हो।			
अंतर्ग्रहण जल में टीडीएस (मिलीग्राम/लीटर)		परिशोधित बहिःस्राव के टीडीएस की अधिकतम सीमा (मिलीग्राम/लीटर)	
ग्राह्य जल का टीडीएस ≤ 1100		2100	
ग्राह्य जल का 1100 < टीडीएस ≤ 2100		ग्राह्य जल का टीडीएस+1000	

ग्राह्य जल का टीडीएस>2100	3100		
3. यथोचित समुद्री निकास के माध्यम से होने वाले सामुद्रिक निपटान के मामले में टीडीएस और एसएआर के मानक लागू नहीं होंगे।			
भाग-II स्वच्छ पानी की खपत और बहिःस्राव निस्सरण मानक (उत्पाद की मात्रा m ³ /टन में*)			
		स्वच्छ जल की खपत	बहिःस्राव निस्सरण**
(i)	पल्प और पेपर मिलें जो ब्लीचड ग्रेड के रासायनिक पल्प, पेपर्स और पेपर्स बोर्ड का उत्पादन कर रही हैं।	50	40
(ii)	पल्प और पेपर मिलें जो अनब्लीचड ग्रेड के रासायनिक पल्प, पेपर और पेपर बोर्ड्स का उत्पादन कर रही हैं।	25	20
(iii)	आरसीएफ और मार्केट पल्प आधारित पेपर मिलें, जो ब्लीचड ग्रेड के पेपर, पेपर बोर्ड्स और अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं।	15	10
(iv)	आरसीएफ और मार्केट पल्प आधारित पेपर मिलें, जो अनब्लीचड ग्रेड के पेपर्स, पेपर बोर्ड्स और अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं।	10	06
(v)	आरसीएफ और मार्केट पल्प आधारित स्पेशियल्टी पेपर मिल्स ***	50	40
टिप्पणी:			
1 * कागज, पेपरबोर्ड, स्पेशियल्टी पेपर्स और अखबारी कागज के अलावा, "उत्पाद" में अल्पकालिक भंडारण या बिक्री के लिए उत्पादित व हवा में सुखाए गए कई टन अधिशेष लुगदी (सूखे शीट या वेट-लैप के रूप में) भी आएगी।			
2 ** बहिःस्राव निस्सरण का अर्थ अंतिम अपशिष्ट जल शोधन चरण के आउटलेट से निकलने वाला बहिःस्राव प्रवाह होगा और इसमें मिल या अन्य मिल-स्वामित्व वाली भूमि के भीतर आने वाली भूमि पर लागू मात्रा भी शामिल होगी। अंतिम अपशिष्ट जल उपचार चरण के आउटलेट से पहले किसी भी बिंदु से भूमि पर ऐसा निस्सरण नहीं किया जाएगा।			
3 *** उन मिलों पर लागू होता है जो केवल स्पेशियल्टी पेपर्स का निर्माण करती हैं।			
भाग-III उत्सर्जन मानक			
I	गंधयुक्त उत्सर्जन मानक	मानदण्ड	सांद्रण एमजी/एनएम ³ से अधिक नहीं होनी चाहिए
		H ₂ S	10
स्पष्टीकरण: गंधयुक्त गैसों के उत्सर्जन स्रोत की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए इस उत्सर्जन को गंध नियंत्रण आकलन के रूप में मापा जाएगा। सोडा प्रक्रिया से संचालित होने वाली मिलें और गंधक-मुक्त संचालन वाली मिलों को छूट दी जाएगी।			
II	स्टैक उत्सर्जन मानक	मानदण्ड	सांद्रण एमजी/एनएम ³ से अधिक नहीं होनी चाहिए

(क)	केमिकल रिकवरी प्लांट (सीआरपी) बॉयलर / चूना भट्टी /		
		पार्टिकुलेट मैटर, पी.एम	100
		H ₂ S	10
(ख)	बॉयलर*	---*	
टिप्पणी:			
* (ख) बॉयलरों के लिए ये उत्सर्जन मानक सामान्य बॉयलरों के लिए अधिसूचित मानकों के अनुसार लागू होंगे।			

(ii) अनुसूची-I में क्रम संख्या 29,53,54, अनुसूची-VI में भाग-ख की क्रम संख्या 3 और भाग-ग की क्रम संख्या 2 (नियम 3ए देखें) और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. क्यू-15017/41/2008-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

नोट : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. संख्या 844(अ) दिनांक 19 नवंबर 1986 के तहत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

DRAFT NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2023

G.S.R. 825(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) the Central Government hereby makes the following draft rules, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public. Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address: mscb.cpcb@nic.in and sonu.singh@gov.in.

- (1) These rules may be called the Environment (Protection) Seventh Amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the expiry of two years from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I:- At serial number 14 entries relating to 'Pulp and Paper Industry' shall be substituted, namely:-

PART-I EFFLUENT STANDARD			
S. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
14	Pulp and Paper Industry		
A.	Treated effluent from Pulp and Paper Mills manufacturing product from Chemical Pulp\$	EFFLUENTS	Concentration not to exceed, mg/l except for pH, colour and sodium adsorption ratio
		pH	6.5 – 8.5
		TSS, mg/l	30
		BOD [3 days at 27 ⁰ c]	20
		COD, mg/l	200
		TDS, mg/l	2100*
		Colour, PCU	350

		AOX, mg/l	10
		SAR	10
B.	Treated effluent from Pulp and Paper Mills manufacturing product from Recycled fiber (RCF) based pulp and Market Pulp	pH	6.5 – 8.5
		TSS, mg/l	30
		BOD, mg/l	20
		COD, mg/l	150
		TDS, mg/l	2100*
		Colour, PCU	350
		AOx, mg/l	05
		SAR	08

Note:

- \$ The Manufacturing of chemical pulp shall be allowed for mills having chemical recovery process (CRP) facility for achieving zero black-liquor discharge.
- * In case where TDS of intake water is above 1100mg/l, a maximum contribution by industrial unit up to 1000mg/l shall be permitted provided the maximum value of 3100 mg/l is not exceeded in the treated effluent i.e

TDS in intake water (mg/l)	Maximum limit of TDS in treated effluent(mg/l)
TDS in intake water \leq 1100	2100
1100< TDS in intake water \leq 2100	TDS in intake water+1000
TDS in intake water >2100	3100

- Standard for TDS and SAR shall not be applicable in case of marine disposal through proper marine outfall.

PART-II FRESH WATER CONSUMPTION AND EFFLEUNT DISCHARGE STANDRAD(Volume in m³/Ton of product*)

		FRESHWATER CONSUMPTION	EFFLEUNT DISCHARGE **
(i)	Pulp & Paper Mills producing bleached grades of chemical pulp, papers and paperboards	50	40
(ii)	Pulp & Paper Mills producing unbleached grades of chemical pulp, papers and paperboards	25	20
(iii)	RCF & Market Pulp Based Paper Mills producing bleached grades of papers, paperboards and newsprint	15	10
(iv)	RCF & Market Pulp Based Paper Mills producing unbleached grades of papers, paperboards and newsprint	10	06
(v)	RCF & Market Pulp Based Specialty Paper Mills ***	50	40

Note:

- * Besides paper, paperboard, specialty papers and newsprint, “product” shall include air dry tonnes of surplus pulp produced for short term storage (as dried sheets or as wet-lap) or for sale.
- ** Effluent discharge shall mean effluent leaving the outlet of final wastewater treatment stage and includes volumes applied on land within the mill or other mill-owned land. Such application on land is not be drawn from any point before the outlet of the final wastewater treatment stage.
- *** applies to mills that manufacture only specialty papers.

PART-III EMISSION STANDRAD

I	Odorous Emission Standard	Parameter	Concentration not to exceed, mg/Nm ³
		H ₂ S	10

Explanation: This emission shall be measured as an odour control assessment, to identify and evaluate point source emissions of odorous gases. Mills that operate with a Soda Process and mill with Sulphur-free operations shall be exempt.

II	Stack Emission Standard	Parameter	Concentration not to exceed, mg/Nm ³
(a)	Chemical Recovery Plant (CRP) boilers/ Limekiln/	Particulate matter, PM	100
		H₂S	10
(b)	Boilers*	---	---
Note: * These emission standard for (b) Boilers* shall be applicable in accordance with the standards notified for general boilers.			

(ii) Serial number 29,53,54 in Schedule-I, serial number 3 of Part-B and serial number 2 of Part-C in Schedule-VI (see rule 3A) and the entries relating thereto shall be omitted

[F. No. Q-15017/41/2008-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E) dated the 19th November 1986.